संख्या-10/2018/1338/96-आयुष-1-2018-32/2016

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 29 मार्च, 2018**

विषय- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बद्ध धनवन्तरि छात्रावास के ध्वस्तीकरण के उपरान्त नवीन छात्रावास भवन के निर्माण हेतु धनराशि रू0-179.50 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1010/332/2017-18/योजना; दिनांक 22.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बद्ध धनवन्तरि छात्रावास के ध्वस्तीकरण के उपरान्त नवीन छात्रावास भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1/2017/27/71-आयुष-1-2017-32/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0-1026.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रू0-410.796 लाख अवमुक्त किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-33 के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष : 4210-01-800-05-00 के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-1418.20 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-179.50 लाख (रूपया एक करोड़ उन्यासी लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त करने की राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाक घर/पी0एल0ए में नहीं रखा जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रायोजनान्तर्गत यदि कोई प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं जिनके शेड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जिनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है, निर्माण के समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उनका क्रय एवं स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग-2 के पत्र संख्या-एस0ओ0-540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के अंतर्गत जेम पोर्टल से रेट कान्ट्रैक्ट की दरों पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(8) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसूचित दरों में सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें प्रथमत: जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाये। यदि वांछित सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध न हो, तो उसे बाजार/कोटेशन के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत क्रय किया जाये।

(9) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों में कार्य के पूर्व/कार्य के बाद के फोटोग्राफ्स, साइट के फोटोग्राफ्स तथा निर्माणाधीन/पूर्ण भवन की डिजिटल फोटो को ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो, इस हेतु थर्ड पार्टी (यथा- एम0एन0एन0 आई0टी0- इलाहाबाद, आई0आई0टी0-रूड़की, कानपुर) से जांच/निरीक्षण कराया जाये और उसकी जांच रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये।

(11) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य की होगी।

(12) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(13) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-201/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **01**-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, **800**-अन्य व्यय, **05**-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, **00** के मानक मद **24**-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

मुकेश कुमार मेश्राम
सचिव।

संख्या-10/2018/1338/96-आयुष-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार/जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।